चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं॰101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

सत्यमेव जयते

365

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1063 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री वर्मा,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,

27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, झाझा ।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

364

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1062 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री सिंह,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,

27/4/2017

(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री प्रताप नारायण सिंह,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, वारसलीगंज ।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

364
362

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1060 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री सिंह,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकायं को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,
27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर ।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel. 0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

365
361

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1059 दिनांक– 28/04/17

प्रिय श्री दास,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,
27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री राम विलास दास,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नवगछिया।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel 0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

सत्यमेव जयते

359

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1057 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री प्रसाद,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,
27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री महेश प्रसाद,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लालगंज।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

358

सत्यमेव जयते

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1056 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री अख्तर,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयीं सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गयें निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,
27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,
श्री मुजफ्फर अहमद बुलंद अख्तर,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर ।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

3891
357

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1055 दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री कुमार,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,
27/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री सुशील कुमार,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बोधगया ।

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं०101, प्रथम तल
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna-800 015
Tel.:0612-2215550 / 2215580, fax No. : 0612-2217059
e-mail:urbansec-bih@nic.in

360
356

अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– 04/NULM-61(PF-1)/16/1054

दिनांक– 28/4/17

प्रिय श्री कुमार,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल निर्माण हेतु आवंटित की गयी सहायक अनुदान की राशि वापस करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 29.12.2014 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं0– 108 दिनांक– 06.02.2015 के अलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निकाय को नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश संख्या– 128 दिनांक–06.02.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– (सैंतीस लाख तीन हजार) आवंटित की जा चुकी है। आश्रय स्थल निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतू विभागीय पत्रांक– 53, दिनांक– 29.07.2015 पत्रांक– 194, दिनांक–14.03.2016, पत्रांक– 2374 दिनांक– 26.12.2016 एवं पत्रांक–2829 दिनांक– 15.12.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है। राशि आवंटन के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीतने के उपरान्त भी नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य प्रारंभ/संपन्न कराये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर SUH योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, नये आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में अबतक की प्रगति से विभाग को अवगत कराते हुए नये आश्रय स्थल के निर्माण संपन्न कराये जाने की अवधि निर्धारित कर विभाग को सूचित किया जाय। यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं तो SUH योजना के तहत उपरोक्त आवंटित राशि को विभाग को 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाय।

भवदीय,

27/4/2017

(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री आलोक कुमार,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुलतानगंज।